

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:-71/2019 (GCMS No. 2019/00074) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|---|---|
| 1. शिवसिंह आयु 29 साल | } | पुत्रान पतराम | } | जातियान जाटव
निवासियान कोंडर
तहसील व जिला करौली |
| 2. रामपाल आयु 26 साल | | | | |
| 3. सुआबाई वेवा पतराम आयु 53 साल | } | पुत्रान गुलकन्दी | | |
| 4. रामप्रसाद आयु 48 साल | | | | |
| 5. हल्के आयु 43 साल | | | | |
| 6. बत्तीलाल आयु 38 साल | } | पुत्रान बिस्पतिया | | |
| 7. अमृतलाल आयु 33 साल | | | | |
| 8. भरतलाल आयु 30 साल | | | | |
| 9. नरसी आयु 23 साल | | | | |
| 10. रूपाबाई वेवा बिस्पतिया आयु 63 साल | | | | |

.....अपीलान्ट्स

बनाम

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. हरिसिंह पुत्र खिलाडी आयु 38 साल | } | जाति जाटव निवासी कोंडर तहसील व जिला करौली। |
| 2. हरेती वेवा खिलाडी आयु 63 साल | | |
| 3. तहसीलदार करौली जिला करौली। | | |
| 4. उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली। | | |

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय 25.02.1982
तहसीलदार करौली बावत् नामा. सं. 274
ग्राम कोंडर तहसील करौली व निर्णय
जिला कलक्टर करौली दिनांक 19.06.2019
प्रकरण संख्या 9/2016 उनवानी शिवसिंह
वगै. बनाम हरिसिंह वगै.


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर



श्रुति:-

1. श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील अपीलान्त
2. श्री ऐश्वर्य सिंह, वकील रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक : 28.04.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 19.06.2019 एवं निर्णय तहसीलदार करौली दिनांक 25.02.1982 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पिता व पति के हक में दिनांक 07.11.1975 को ख.नं. 813/3 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर का आवंटन किया गया। आवंटन के तहत खसरा नम्बर 813/3 गैर खातेदारी नामान्तकरण खिलाडी के हक में हुआ। खिलाडी की मृत्यु के पश्चात् विरासत नामा. रेस्पोंडेंटस के हक में हुआ। दिनांक 11.02.1982 को आवंटन आराजी ख.नं. 854/3 रकवा 5 बीघा रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति के हक में नहीं हुआ। बिना आवंटन दिनांक 30.01.1982 को आदेश रेस्पोंडेंट संख्या 4 ने गैर खातेदारान का खसरा नम्बर परिवर्तन करने का विधि विरुद्ध पारित किया। जिसके तहत ख.नं. 854/3 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर का परिवर्तन कार्यवाही नामा. रेस्पों. सं. 3 ने रेस्पों. सं. 1 व 2 के हक में विधि विरुद्ध गैर खातेदारी स्वीकृत की गई। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर करौली में की गयी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2019 से विधि विरुद्ध तरीके से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंटगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। दिनांक 25.02.1982 व दिनांक 16.06.2019 को हर दो अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतया आर्वीट्रेरी हैं परिवर्तित रेस्पों. नं. 1 व 2 है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 को ख. 854/3 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर का कोई आवंटन कभी नहीं किया गया। रेस्पों. 4 को रेस्पों. 1 व 2 के हक में ख.नं. 813/3 के स्थान पर ख.नं. 854/3 को गैर खातेदारी नामा. के तहत परिवर्तित करने का संशोधित करने का अधिकार बिना आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग किये नहीं है। रेस्पों. सं. 3 व 4 एवं जिला कलक्टर करौली द्वारा आदेश दिनांक 30.01.82 व



26
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिनांक 25.02.82 व 19.06.2019 विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किये हैं। रेसपो. सं. 3 व 4 द्वारा ख.नं. 854 किस्म चारागाह भूमि का कोई परिवर्तन दिनांक 30.01.82 या दिनांक 25.02.82 को जिला कलक्टर करौली या राज्य सरकार से नहीं करायी गई और दिनांक 30.01.1982 को ख.नं. 813/3 के स्थान पर 854/3 विधि विरुद्ध रूप से परिवर्तित किया है और रेसपो. संख्या 3 द्वारा नामा. संख्या 274 दिनांक 25.02.1982 को विधि विरुद्ध स्वीकृत किया है। ख.नं. 854/3 चारागाह भूमि है जो ग्राम वासियान की मवेशियों के चरने की व अपीलान्त की मवेशियों के चरने की भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है एवं ख.नं. 854 में ही 1 बीघा 12 विस्वा भूमि आबादी में हैं जिसमें अपीलान्तस की मकानियत पुख्ता व पाटौर पोश 40 साल पूर्व से पितागण अपीलान्त के समय से बनी हुई है। धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत चारागाह भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार चारागाह भूमि में प्राप्त नहीं होते हैं न ही चारागाह भूमि आवंटन योग्य होती है। निर्णय दिनांक 19.06.2019 न्यायालय जिला कलक्टर करौली का है। इसलिए अपील अपीलान्त अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्तस स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 25.02.82 बावत् नामान्तकरण संख्या 274 व निर्णय दिनांक 19.06.2019 न्यायालय जिला कलक्टर करौली निरस्त किये जावे एवं ख.नं. 854/3 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर को चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

4. वकील रेसपोडेन्ट द्वारा कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 813 में किया गया है। उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर दूसरे लोगों का कब्जा था। अतः खसरा नम्बर 813 के स्थान पर खसरा नम्बर 854 पर दिनांक 30.01.1982 को आदेश परिवर्तित किया है। कोरम कमेटी के हस्ताक्षर आदेश पर न होकर पंजिका में होते हैं। आवंटन आदेश के अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। 30.01.1982 को संशोधित आदेश से ही रेसपोडेन्ट को कब्जा दिया गया है। 1982 से 2016 अपील तक रेसपोडेन्ट काबिज रहे हैं। अपील में यह नहीं बताया गया कि इतने साल तक अपील क्यों नहीं की गई। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ नहीं मिल सकता है। अपीलान्त द्वारा चारागाह भूमि होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। भूमि यदि चारागाह है तो राज्य सरकार की अनुमति से राजपत्र में अधिसूचना से किस्म परिवर्तन कर आवंटन किया। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे। अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की न्यायिक नजीर आरबीजे 2021 पेज 747, आरआरडी 2016 पेज 163 एवं आरआरडी 2016 पेज 587 पेश की।


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर




5. रिवीटल में वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थना पत्र आवंटन खारिज करने की सिफारिश में आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था। संशोधित आदेश दिनांक 30.01.1982 में आवंटन सलाहकार समिति का कोई उल्लेख नहीं है। बिना आवंटन सलाहकार समिति के परिवर्तन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। नामान्तरण ख.नं. 854 का 7 साल बाद खुलवाया गया है जबकि आवंटन ख. नं. 813 में था। आवंटन पत्र की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जावे।
6. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं रैस्पों संख्या 01 व 02 को दिनांक 07.11.1975 को खसरा नम्बर 813/3 आवंटित किया गया था। परन्तु कब्जा खसरा नम्बर 854/3 का दिया गया इसी प्रकार अन्य आवंटी को खसरा नम्बर 854/3 का आवंटन किया गया। परन्तु कब्जा खसरा नम्बर 813/3 पर दिया गया। रैस्पों को इस तथ्य का पता चलने पर उपखण्ड अधिकारी करौली के यहाँ आवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने मौका रिपोर्ट, उपलब्ध रिकार्ड एवं कब्जे के आधार पर रैस्पों संख्या 01 व 02 को 854/3 में तथा अन्य आवंटी के हक में खसरा नम्बर 813/3 में नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। विवादित नामान्तरण उपखण्ड अधिकारी के आदेशों से खोला गया है। इसके अलावा अपीलान्ट ने रैस्पों संख्या 01 व 02 के आवंटन को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में 14(4) की कार्यवाही भी पृथक से की गयी है, जो खारिज हो चुकी है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है।
8. अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 19.06.2019. व 21.07.1982 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।


 अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
 भरतपुर

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अशिश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर